भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1765

(जिसका उत्तर गुरुवार, 7 मार्च, 2013/16 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट घोटाले

1765. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कारपोरेट घोटालों का यथाशीघ्र पता लगाने के लिए एक नयी आसूचना इकाई की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह इकाई कब तक कार्य करना शुरू कर देगी;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान गंभीर अपराध जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा कितने कारपोरेट घोटालों का पता लगाया गया और उनकी जांच की गई है तथा इनमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त थी;

(घ) उक्त अवधि में एसएफफआईओ द्वारा घोटालों के ऐसे कितने मामलों का निपटान किया गया; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे कारपोरेट घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) और (ख): गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में विद्यमान बाजार अनुसंधान एवं विश्लेषण इकाई (एमआरएयू) को आसूचना इकाई के रूप में कार्य करने में समर्थ करने हेतु पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है। एमआरएयू को पुनर्गठित करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। समिति का प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। प्रस्तावित इकाई का अग्रिम परीक्षण वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान किए जाने की उम्मीद है।

(ग): वर्ष 2009-10 से 2011-12 से लेकर वर्तमान वित्त वर्ष तक एसएफआईओ ने 63 मामलों में जांच पूरा किया है। इन जांचों में 18 कंपनियों द्वारा 5607.37 करोड़ रुपए की राशि का दुरुपयोग पाया गया है।

(घ): मामलों का निस्तारण एसएफआईओ के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है क्योंकि उन्हें क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों में शिकायत दायर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ड.): कारपोरेट धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु अन्य जांच एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय तंत्र के माध्यम से कौशल, प्रणाली एवं ज्ञान को अद्यतन करने हेतु मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है।

*****